

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S. B. Criminal Writ Petition No. 382/2019

24.5.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा

लोक अभियोजक श्री पंकज अग्रवाल

सुना गया।

अयाचीगण को नोटिस जारी किया जाना उचित है।

योग्य लोक अभियोजक, अयाची संख्या 1 लगायत 6 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं, अतः उक्त अयाचीगण की तामील पूर्ण मानी जाती है। शेष अयाचीगण के क्रम में नोटिस दिनांक 11.7.2019 को वापसी योग्य जारी किए जावें।

योग्य लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति